रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112026-278173
CG-DL-E-25112026-278173

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 899] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 2026/अग्रहायण 4, 1948
No. 899] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2026/AGRAHAYANA 4, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2026

सं. 08/2026–केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1006(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. —** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये 1 दिसंबर, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 20 में, उपनियम (5) और उपनियम (6) के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्: —

"(5) जहां उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल किया गया है और उपनियम (2) और उपनियम (3) में निर्दिष्ट विवरणियां उनमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर दे दी गई हैं तथा कर, ब्याज, फीस या शास्ति या कोई अन्य रकम, जिसका संदाय किए जाने का दायित्व है, संदत्त कर दी गई है, वहां रजिस्ट्रीकरण, उस तारीख से, जिससे रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है, सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से रद्द कर दिया जाएगा और इसकी संसूचना उक्त व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी-38 में इलेक्ट्रानिक रूप से दी जाएगी।

(6) जहां उपनियम (3) में निर्दिष्ट विवरणियां या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में विवरण, जहां लागू हों, नहीं दिए गए हैं या कर, ब्याज, फीस या शास्ति या कोई अन्य रकम, जिसका संदाय किए जाने का दायित्व है, संदत्त नहीं की गई है, वहां आवेदन, परीक्षा के लिए समुचित अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।"।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/1/2026-जीएसटी]

कृति पाण्डेय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017–केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 05/2026–केंद्रीय कर, तारीख 26 अक्तूबर, 2026, सा.का.नि. 919(अ), तारीख 26 अक्तूबर, 2026 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2026

No. 08/2026–Central Tax

G.S.R. 1006(E).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

2. Short title and Commencement. - (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 1st day of December, 2026.

3. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 20, for sub-rules (5) and (6) respectively, the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(5) Where an application for cancellation of registration is filed under sub-rule (1) and the returns referred to in sub-rule (2) and sub-rule (3) have been furnished within the time specified therein and tax, interest, fee or penalty or any other amount which is liable to be paid, has been paid, the registration shall be cancelled electronically by the common portal with effect from the date from which the cancellation of registration is sought and the same shall be communicated electronically to the said person in **FORM GST REG-38.**

(6) Where the returns or statements in **FORM GST CMP-08**, where applicable, referred to in sub-rule (3) have not been furnished or tax, interest, fee or penalty or any other amount which is liable to be paid, has not been paid, the application shall be forwarded to the proper officer for examination."

[F. No. CBIC-20001/1/2026-GST]

KRITI PANDEY, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published, vide number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and were last amended, vide notification No. 05/2026–Central Tax, dated the 26th October, 2026, vide number G.S.R. 919(E), dated the 26th October, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA